वन अनुभाग-2

संख्या-2510/14-2-15-4(5)/2015

लखनऊ, दिनांक, 18 नवम्बर 2015

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- उक्त धारा की उपधारा(1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर,वन बन्दोबस्त अधिकारी बांदा को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बांदा	बांदा	बांदा	मटौंध ग्रामीण	2929, 2930 मि	0.587 2.958	उत्तर- कोडेरी नदी खसरा न० 2931 एवं 2932 पूर्व- खसरा नं0-2935 2936 दक्षिण- खसरा नं0- 2925 रास्ता पश्चिम- खसरा नं0-2930 भाग 2924 एवं 2922
				योग	2 किता	3.545	

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra